रजिस्ट्री नं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 1970/ज्येष्ठ 14, 1892

No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 1970 JYAISTHA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 4th June 1970*

**S.O. 2066.**—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/69-II (S.O. 89) dated the 4th January, 1969, namely:—

In Table 3, against the entry "16. Uttar Pradesh" for the entries "(20) Car, (21) Cultivator cutting crop and (22) Horse" the entries "(20) Car and (21) Cultivator cutting crop" shall be substituted.

[No. 56/70-VI.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून 1970

**एस० ओ० 2066.**—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 56-69-2 (का० आ० 89) तारीख 4 जनवरी 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात :—

सारणी 3 में "16 उत्तर प्रदेश" प्रविष्टि के सामने की "(20) कार, (21) फसल काटता हुआ किसान तथा (22) घोड़ा" प्रविष्टियों के स्थान पर "(20) कार तथा (21) फसल काटता हुआ किसान" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 56/70-6]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970